जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर

क्रमांकः जीविवि/परीक्षा-2/गोप./2020/772 दिनांक : 28.08.2020

// अत्यावश्यक //

प्रति,

प्राचार्य/प्राचार्या/विभागाध्यक्ष,

समस्त सम्बद्ध महाविद्यालय/विश्वविद्यालय अध्यनशाला,

जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर

विषय :- स्नातक प्रथम, द्वितीय एवं अंतिम वर्ष / स्नातकोत्तर चतुर्थ सेमेस्टर (नियमित/स्वाध्यायी) की परीक्षाओं के संचालन (कोविड-19) के संबंध में दिशा निर्देश।

सन्दर्भः- कार्यालय आयुक्त उच्च शिक्षा म.प्र. शासन सतपुड़ा भवन, भोपाल के पत्र क्रमांक एफ/770/2020/38-3/भोपाल, दिनांक 13.08.2020 एवं क्रमांक 811/969/2020/38/शा.-3 भोपाल दिनांक 26.08.2020

महोदय / महोदया,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निर्देशानुसार सूचित किया जाता है कि कार्यालय आयुक्त उच्च शिक्षा म.प्र. शासन भोपाल के उपरोक्त संदर्भित पत्र में विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित की जाने वाली स्नातक प्रथम, द्वितीय एवं अंतिम वर्ष / स्नातकोत्तर चतुर्थ सेमेस्टर (नियमित/स्वाध्यायी) की परीक्षाओं के संचालन (कोविड-19) के संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश प्रदान किए गए हैं। कृपया महाविद्यालय द्वारा उपरोक्त परीक्षाओं के संचालन के दौरान उपरोक्त संलग्न दिशा निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक रूप से सुनिश्चित करें एवं महाविद्यालय स्तर पर भी परीक्षार्थियों को अवगत करायें।

कुलसचिव

प्रतिलिपि :-

1. आयुक्त, उच्च शिक्षा विभाग, सतपुड़ा भवन, भोपाल, मध्यप्रदेश।
2. विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, उच्च शिक्षा विभाग, सतपुड़ा भवन, भोपाल, मध्यप्रदेश।
3. अतिरिक्त संचालक, (उच्च शिक्षा), मोती महल, ग्वालियर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
4. केन्द्राध्यक्ष, स्नातक प्रथम, द्वितीय एवं अंतिम वर्ष / स्नातकोत्तर चतुर्थ सेमेस्टर परीक्षा केन्द्र, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर
5. प्रभारी, केन्द्रीय मूल्यांकन केन्द्र, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर
6. परीक्षा नियंत्रक, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर
7. उप/सहा0-कुलसचिव (परीक्षा/गोपनीय), जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर
8. प्रभारी, एम.पी. ऑनलाईन, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर
9. प्रभारी, आई.टी. सैल, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर
10. कुलपति के सचिव, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर की ओर सूचनार्थ।
11. कुलसचिव महोदय, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर की ओर सूचनार्थ।

उप - कुलसचिव (परीक्षा/गोप0)

मध्यप्रदेश शासन
उच्च शिक्षा
वल्लभ भवन, मंत्रालय–462004

// आदेश //

भोपाल, दिनांक– 13/08/2020.

क्रमांक– एफ 77 /2020/38-3 :: कोरोना (कोविड–19) के परिप्रेक्ष्य में छात्रों की सुरक्षा एवं स्वास्थ्य को दृष्टिगत रखते हुए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग नई दिल्ली द्वारा जारी निर्देश दिनांक 29/04/2020 तथा 08/07/2020 एवं मानव संसाधन विकास मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा दिनांक 08/07/2020 को जारी मार्गदर्शी दिशा–निर्देशों के अनुक्रम में सत्र 2019–20 की विश्वविद्यालयीन परीक्षाओं के संदर्भ में निम्नानुसार निर्देश जारी किये जाते हैं –

1. **स्नातक प्रथम वर्ष (नियमित) के लिए निर्देश** : स्नातक प्रथम वर्ष के नियमित विद्यार्थियों के लिए आतंरिक मूल्यांकन के प्राप्तांकों को आधार अंक मानते हुए 100 प्रतिशत मूल्यांकन अंक प्रदान किया जाए। आंतरिक मूल्यांकन की उत्तर पुस्तिकाएं संबंधित विश्वविद्यालय के नियमानुसार महाविद्यालय में ही संधारित की जाएंगी।

2. **स्नातक प्रथम वर्ष (स्वाध्यायी) के लिए निर्देश** : स्नातक प्रथम वर्ष के समस्त स्वाध्यायी (प्रायवेट) परीक्षार्थियों का परीक्षा परिणाम स्नातक प्रथम वर्ष के नियमित विद्यार्थियों की तरह आंतरिक मूल्यांकन के प्राप्ताकों के आधार पर घोषित किया जाएगा। परीक्षा परिणाम घोषित करने के लिए बिन्दु क्रमांक–04 के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।

3. **स्नातक द्वितीय वर्ष (नियमित)/स्नात्तकोत्तर द्वितीय सेमेस्टर (नियमित) के लिए निर्देश** : स्नातक द्वितीय वर्ष एवं स्नाकोत्तर द्वितीय सेमेस्टर के परीक्षार्थियों के लिए गत वर्ष/सेमेस्टर के विषयवार एवं प्रश्नपत्रवार प्राप्तांकों का 50 प्रतिशत तथा वर्तमान वर्ष के आंतरिक मूल्यांकन के प्राप्तांकों का 50 प्रतिशत जोड़कर उसे वर्तमान सत्र् का प्राप्तांक मानते हुए परीक्षा परिणाम घोषित करते हुए आगामी वर्ष/ सेमेस्टर में प्रवेश दिया जाए।

4. **स्नातक द्वितीय वर्ष (स्वाध्यायी)/स्नात्तकोत्तर द्वितीय सेमेस्टर (स्वाध्यायी) के लिए निर्देश** : प्रदेश में महाविद्यालयवार स्नातक द्वितीय वर्ष तथा स्नातकोत्तर द्वितीय सेमेस्टर के स्वाध्यायी परीक्षार्थियों के परीक्षा परिणाम के लिए नियमित परीक्षार्थियों के आतंरिक मूल्यांकन की पद्धति की ही तरह असाईनमेन्ट प्राप्त कर, मूल्यांकन उपरांत परीक्षा परिणाम घोषित किया जाए।

   I. **असाइनमेन्ट के लिए प्रश्न पत्र का निर्माण एवं प्रेषण** : स्नातक प्रथम वर्ष, द्वितीय वर्ष एवं स्नातकोत्तर द्वितीय सेमेस्टर के स्वाध्यायी परीक्षार्थियों के लिए अग्रेषण केन्द्र के संबंधित विषय के शिक्षक द्वारा असाइनमेन्ट के लिए प्रश्न का चयन कर महाविद्यालयों के पोर्टल पर कक्षावार, विषयवार एवं प्रश्नपत्रवार अपलोड किया जाए। इसके साथ ही परीक्षार्थियों को स्मार्ट फोन/ ई–मेल पर प्रश्न पत्र भेजना भी सुनिश्चित किया जाए।

इस आशय की सूचना समस्त संबंधित स्वाध्यायी परीक्षार्थियों को पंजीकृत मोबाइल/ ई–मेल आईडी पर प्रेषित की जाए। संबंधित सम्पूर्ण कार्यवाही महाविद्यालय के प्राचार्य की मॉनिटरिंग/निगरानी में सुनिश्चित की जाए।

II. **असाईनमेन्ट जमा करना** : स्नातक प्रथम वर्ष, द्वितीय वर्ष एवं स्नातकोत्तर द्वितीय सेमेस्टर के स्वाध्यायी परीक्षार्थी निकट के किसी भी उत्तर पुस्तिका संग्रहण केन्द्र में असाईनमेंट जमा कर सकेंगे। असाईनमेन्ट जमा करने के लिए विश्वविद्यालयवार समय–सारणी जारी की जाएगी। ओपन बुक परीक्षा की उत्तर पुस्तिका जमा करने के साथ ही असाईनमेन्ट जमा करने की समय–सारणी घोषित की जाए।

III. **मूल्यांकन पद्धति** : अग्रणी महाविद्यालय में एकत्रित असाइनमेन्ट अग्रणी महाविद्यालय के प्राचार्य की निगरानी में अग्रेषण केन्द्रवार बन्डल बनाकर संबंधित अग्रेषण केन्द्र को प्रेषित किये जाएंगे। संबंधित अग्रेषण केन्द्र के प्राचार्य विषय के शिक्षक से मूल्यांकन कराकर प्राप्तांक ऑनलाइन संबंधित विश्वविद्यालय को प्रेषित करेंगे। यह सम्पूर्ण कार्यवाही प्राचार्य, अग्रेषण केन्द्र की मॉनिटरिंग/ निगरानी में पूर्ण की जाए।

IV. **परीक्षा परिणाम घोषित करने की पद्धति** : विश्वविद्यालयवार असाइनमेन्ट के प्राप्तांकों को मूल्यांकन अंक के रूप में स्वीकार किया जाएगा। स्वाध्यायी परीक्षार्थियों के गत वर्ष के प्राप्तांकों का 50 प्रतिशत तथा वर्तमान असाइनमेन्ट का 50 प्रतिशत जोड़कर परीक्षा परिणाम घोषित किया जाएगा।

V. **असाईनमेन्ट का संधारण** : स्वाध्यायी परीक्षार्थियों के असाईनमेन्ट का संधारण मूल्यांकन उपरांत विश्वविद्यालय के नियमानुसार अग्रेषण केन्द्र में किया जाएगा।

5. <u>स्नातक अंतिम वर्ष/स्नात्तकोत्तर चतुर्थ सेमेस्टर (नियमित तथा स्वाध्यायी) के लिए निर्देश</u> : समस्त विश्वविद्यालयों एवं क्षेत्राधिकार के महाविद्यालयों में स्नातक तृतीय वर्ष तथा स्नातकोत्तर चतुर्थ सेमेस्टर (नियमित तथा स्वाध्यायी) की <u>**शेष रह गई परीक्षाएं**</u> आयोजित की जायेंगी। संबंधित विश्वविद्यालयों द्वारा प्रदत्त लॉगिन बेस्ड एस.आई.एस. (Student Info System)/निर्धारित बेवसाईट पर प्रश्न पत्र उपलब्ध कराया जायेगा। परीक्षार्थी अपने निवास से ही खुली किताब (Open Book) परीक्षा प्रणाली के माध्यम से उत्तर पुस्तिका लिख सकेंगे।

I. **प्रश्न पत्र निर्माण के लिए निर्देश** : समस्त विश्वविद्यालय निर्धारित पाठ्यक्रम अनुसार अपने क्षेत्राधिकार के महाविद्यालयों के लिए माह अगस्त 2020 में शेष रह गई परीक्षाओं के प्रश्न पत्र नए सिरे से तैयार करना सुनिश्चित करेंगे। स्नातक अंतिम वर्ष में प्रत्येक विषय के लिए एक ही प्रश्न पत्र तैयार करवाए जाए। (उदाहरणार्थ – रसायन शास्त्र विषय के प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय प्रश्नपत्र तीन खण्डों में एक साथ तैयार किये जाएंगे)

II. **परीक्षार्थी को प्रश्न पत्र का प्रेषण** : विश्वविद्यालयवार स्नातक अंतिम वर्ष /स्नातकोत्तर चतुर्थ सेमेस्टर की परीक्षाओं के लिए घोषित समय सारणी अनुसार परीक्षार्थियों को

एस.आई.एस लॉगिन आईडी एवं निर्धारित वेबसाइट पर समस्त विषयों के प्रश्नपत्र एक साथ अपलोड किए जाएंगे।

III. **उत्तर पुस्तिका जमा करने के निर्देश :** विश्वविद्यालय द्वारा घोषित समय सारणी अनुसार ओपन बुक परीक्षा की समस्त विषयों के सभी प्रश्न पत्रों की लिखित उत्तर पुस्तिकाएं परीक्षार्थी अपने निवास के निकट के संग्रहण केन्द्र में एक साथ जमा करेंगे अथवा डाक द्वारा जिले के अग्रणी प्राचार्य के कार्यालय के पते पर भेजेगें। डाक द्वारा प्रेषित उत्तर पुस्तिका निर्धारित तिथि/अवधि के पश्चात् प्राप्त होने पर स्वीकार नहीं की जाएंगी।

IV. **उत्तर पुस्तिका के संबंध में निर्देश :** परीक्षार्थी स्वयं के पास उपलब्ध रजिस्टर के कागज/ए–4 आकार के कागज की उत्तर पुस्तिका बना कर उत्तर लिखेंगे। प्रत्येक परीक्षार्थी स्वयं का रोल नंबर/नामांकन क्रमांक/महाविद्यालय का नाम/विश्वविद्यालय का नाम तथा पूर्व घोषित परीक्षा केन्द्र का नाम/विषय/प्रश्न पत्र का शीर्षक/उत्तर पुस्तिका के हस्तलिखित पृष्ठों की संख्या अनिवार्य रूप से दर्ज करेंगे। परीक्षार्थी उत्तर लिखने के लिए नीले/काले बॉल पेन का ही उपयोग करेंगे। परीक्षार्थियों को ओपन बुक परीक्षा में समस्त विषयों की प्रश्नपत्रवार पृथक–पृथक उत्तर पुस्तिका लिखना अनिवार्य होगा।

V. **उत्तर पुस्तिका का संग्रहण तथा प्रेषण :** प्रदेश में शासकीय हायर सेकेण्डरी स्कूल/शासकीय हाई स्कूल/शासकीय महाविद्यालय/अनुदान प्राप्त अशासकीय महाविद्यालय/निजी अशासकीय महाविद्यालयों को उत्तर पुस्तिका संग्रहण केन्द्र बनाया जाएगा। संबंधित विश्वविद्यालय के निर्देशानुसार जिले के अग्रणी महाविद्यालय के प्राचार्य अपने क्षेत्राधिकार के उत्तर पुस्तिका संग्रहण केन्द्रों से सील्ड उत्तर पुस्तिका के पैकेट एकत्रित कर विश्वविद्यालय को प्रेषित करना सुनिश्चित करेंगे। प्रत्येक अग्रणी महाविद्यालय द्वारा लिखित उत्तर पुस्तिकाओं के संग्रहण हेतु रूट चार्ट तैयार जाएगा।

6. **एटीकेटी/एक्स परीक्षार्थियों के लिए निर्देश** : स्नातकोत्तर चतुर्थ सेमेस्टर के ऐसे परीक्षार्थी जिनकी प्रथम/द्वितीय/तृतीय सेमेस्टर में ए.टी.के.टी है, उनकी ए.टी.के.टी की परीक्षाएं तथा स्नातक स्तर पर एक्स परीक्षार्थियों की परीक्षाएं भी स्नातक अंतिम वर्ष/स्नातकोत्तर चतुर्थ सेमेस्टर के साथ ही आयोजित की जाएंगी।

7. **प्रायोगिक परीक्षा के लिए निर्देश** : स्नातक प्रथम, द्वितीय, तथा अंतिम वर्ष एवं स्नातकोत्तर द्वितीय/चतुर्थ सेमेस्टर के समस्त परीक्षार्थियों (नियमित/स्वाध्यायी) के प्रायोगिक विषयों के प्राप्तांक संबंधित विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित सेशनल प्राप्तांकों के आधार पर ही 100 प्रतिशत गुणानुकृत (Multiplication) करते हुए प्रदान किये जायेंगे।

8. <u>स्नातक अंतिम वर्ष/स्नातक चतुर्थ सेमेस्टर के परीक्षा परिणाम घोषित करने के निर्देश</u> :

I. **विश्वविद्यालयवार मूंल्याकन** : विश्वविद्यालयवार उत्तर पुस्तिका का मूंल्याकन कराकर निर्धारित पद्धति से परीक्षा परिणाम घोषित किया जाएगा।

II. **स्नातक अंतिम वर्ष के लिए मूल्यांकन पद्धति** :

अ– **स्नातक अंतिम वर्ष की सम्पूर्ण परीक्षा आयोजित ना होने की स्थिति में** : परीक्षा परिणाम घोषित करने हेतु स्नातक प्रथम एवं द्वितीय वर्ष की परीक्षा के सभी विषयों के प्राप्ताकों के प्रश्नपत्रवार 25–25 प्रतिशत अंक स्वीकार करते हुए स्नातक अंतिम वर्ष के लिए ओपन बुक पद्धति से आयोजित परीक्षा के प्राप्तांकों का 50 प्रतिशत अंकों को जोड़कर अंतिम वर्ष का परीक्षा परिणाम घोषित किया जाए। (**परिशिष्ट– एक** परीक्षा परिणाम घोषित करने हेतु गणना का प्रारूप)

ब – स्नातक अंतिम वर्ष के किसी विषय के दोनों/तीनों प्रश्न पत्र की परीक्षा सम्पन्न होने की स्थिति में : स्नातक अंतिम वर्ष के किसी विषय के दोनों/तीनों प्रश्न पत्र की परीक्षा सम्पन्न हो चुकी हो तो उन विषयों के प्रश्नपत्रों की उत्तर पुस्तिका का मूल्यांकन कर अंक यथावत मान्य किया जाए। शेष रह गए विषय के दोनों/तीनों प्रश्न पत्र की ओपन बुक पद्धति से आयोजित परीक्षा के प्राप्तांकों के 50 प्रतिशत अंकों में स्नातक प्रथम एवं द्वितीय वर्ष की परीक्षा के उसी विषय के प्राप्ताकों के प्रश्नपत्रवार 25–25 प्रतिशत अंक जोड़कर स्नातक अंतिम वर्ष का परीक्षा परिणाम घोषित किया जाए।

स – स्नातक अंतिम वर्ष के किसी विषय के एक प्रश्न पत्र की परीक्षा हो चुकी है तथा द्वितीय प्रश्न पत्र की परीक्षा शेष होने की स्थिति में : यदि किसी विषय के एक प्रश्न पत्र की परीक्षा हो चुकी है तथा द्वितीय प्रश्न पत्र की परीक्षा शेष है तो ऐसे स्थिति में जिस प्रश्न पत्र की परीक्षा हो चुकी है उसका मूल्यांकन कर अंक यथावत मान्य किया जाए। उसी विषय के द्वितीय प्रश्न पत्र की ओपन बुक पद्धति से आयोजित परीक्षा के प्राप्तांकों के 50 प्रतिशत अंकों में स्नातक प्रथम एवं द्वितीय वर्ष की परीक्षा के उसी प्रश्न पत्र के प्राप्ताकों के 25–25 प्रतिशत अंक जोड़कर स्नातक अंतिम वर्ष का परीक्षा परिणाम घोषित किया जाए। (**परिशिष्ट– दो** परीक्षा परिणाम घोषित करने हेतु गणना का प्रारूप)

9. <u>स्नातकोत्तर चतुर्थ सेमेस्टर के लिए परीक्षा परिणाम घोषित करने की पद्धति</u> : स्नातकोत्तर प्रथम, द्वितीय, तृतीय सेमेस्टर की परीक्षा के सभी विषयों के प्राप्तांकों का औसत प्रश्नपत्रवार 50 प्रतिशत अंक स्वीकार करते हुए स्नातकोत्तर चतुर्थ सेमेस्टर के लिए ओपन बुक पद्धति से आयोजित परीक्षा के प्राप्तांकों का 50 प्रतिशत अंक जोडकर चतुर्थ सेमेस्टर का परीक्षा परिणाम घोषित किया जाए। (**परिशिष्ट– तीन** परीक्षा परिणाम घोषित करने हेतु गणना का प्रारूप)

10. **परीक्षा संचालन व्यवस्था** : स्नातक अंतिम वर्ष/स्नातकोत्तर चतुर्थ सेमेस्टर की ओपन बुक परीक्षा प्रणाली से विश्वविद्यालयवार परीक्षा का आयोजन सितम्बर, 2020 तक सम्पन्न किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

11. **परीक्षा परिणाम की घोषणा** : स्नातक प्रथम वर्ष/द्वितीय वर्ष/अंतिम वर्ष तथा स्नातकोत्तर द्वितीय/चतुर्थ सेमेस्टर में परीक्षा परिणाम अक्टूबर, 2020 के अंत तक अनिवार्य रूप से घोषित किए जायेंगे।

12. **ओपन बुक परीक्षा का द्वितीय अवसर** : किसी कारणवश परीक्षार्थी घोषित समय–सारणी अनुसार प्रस्तावित ओपन बुक परीक्षा में सम्मिलित नहीं हो पाता है तो उसे नवंबर, 2020 में आयोजित विशेष परीक्षा में सम्मिलित होने का द्वितीय अवसर प्रदान किया जाएगा।

13. **परीक्षा आवेदन पत्र/परीक्षा शुल्क के संबंध में निर्देश** : सत्र 2019–20 की परीक्षाओं एवं परीक्षा परिणाम के लिए प्रदेश के समस्त शासकीय/अनुदान प्राप्त अशासकीय महाविद्यालय/अशासकीय महाविद्यालय/दूरस्थ विश्वविद्यालय एवं अन्य समस्त विश्वविद्यालयों में स्नातक/स्नातकोत्तर तथा अन्य समस्त संबंधित पाठ्यक्रमों के नियमित/स्वाध्यायी परीक्षार्थियों को विश्वविद्यालयीन परीक्षा शुल्क एवं विश्वविद्यालयीन परीक्षा फॉर्म जमा करना अनिवार्य होगा। जिन परीक्षार्थियों ने पूर्व में ही परीक्षा शुल्क जमा कर दिया है, उन्हें पृथक से किसी प्रकार का शुल्क जमा नहीं करना होगा। इस संबंध में विस्तृत दिशा–निर्देश विश्वविद्यालय द्वारा जारी किये जाएंगे।

14. **एस.आई.एस (Student info System) के संबंध में निर्देश** : प्रदेश के विश्वविद्यालयों द्वारा निर्धारित ऐजेन्सी के माध्यम से परीक्षार्थियों को पूर्व से ही एस.आई.एस. की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। विश्वविद्यालयवार प्रश्न पत्र परीक्षार्थियों के लॉगिन आई.डी बेस्ड एस.आई. एस पर उपलब्ध कराने की प्रक्रिया/शर्तें/गोपनीयता वित्तीय भार आदि की कार्यवाही विश्वविद्यालय द्वारा ओपन बुक परीक्षा आरंभ होने के पूर्व निर्धारित किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

15. **टेबुलेशन सीट के लिए निर्देश** : समस्त संबंधित विश्वविद्यालयों/स्वशासी महाविद्यालयों द्वारा उक्त निर्देशों को दृष्टिगत रखते हुए टी.आर. (टेबुलेशन/सीट) बनाने के पश्चात ही अंकसूची जारी की जाए। समस्त नियमित/स्वाध्यायी परीक्षार्थियों को अंकसूची पूर्व वर्षो के प्रारूप अनुसार ही जारी की जाएगी।

16. **पूर्व परीक्षाओं के सम्बन्ध में निर्देश** : सत्र 2019–20 के लिए स्नातक अंतिम वर्ष की जो परीक्षाएं मार्च, 2020 में सम्पन्न हो चुकी है, उनका मूल्यांकन कर प्राप्तांक यथावत मान्य किया जाए।

17. **विश्वविद्यालयीन परीक्षाओं के संबंध में लिया गया निर्णय** : राज्य शासन द्वारा कोरोना (कोविड–19) के परिप्रेक्ष्य में विद्यार्थियों की सुरक्षा एवं स्वास्थ्य को दृष्टिगत रखते हुए सत्र 2019–20 की विश्वविद्यालयीन परीक्षाओं के संदर्भ में लिया गया यह निर्णय प्रदेश के समस्त

शासकीय विश्वविद्यालय/निजी विश्वविद्यालय/दूरवर्ती विश्वविद्यालय तथा शासकीय महाविद्यालय/अनुदान प्राप्त अशासकीय महाविद्यालय/निजी अशासकीय महाविद्यालय/स्वाशासी महाविद्यालयों में संचालित समस्त पाठ्यक्रमों पर लागू होगा।

18. उपरोक्त व्यवस्था के अतिरिक्त विश्वविद्यालय छात्र संख्या के आधार पर विश्वविद्यालय अध्ययन केन्द्र (UTD) के विद्यार्थियों हेतु ऑनलाईन परीक्षा कराए जाने के संबंध में यथोचित निर्णय ले सकेगा।

कोरोना (कोविड–19) संक्रमण के परिप्रेक्ष्य में मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली तथा राज्य शासन द्वारा लिए गए निर्णय अनुसार प्रदेश के समस्त विश्वविद्यालयों के लिए जारी दिशा निर्देशों के आधार पर आयोजित परीक्षा संचालन व्यवस्था तथा परीक्षा परिणाम घोषित किए जाने की यह व्यवस्था मात्र सत्र 2019–20 के लिए ही मान्य होगी। अन्य वर्षो के लिए इसे उदाहरण नहीं माना जाएगा।

संलग्न :– परिशिष्ट – एक, दो एवं तीन।

13-8-2020

(वीरन सिंह भलावी)
अवर सचिव
मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग

पृ0क्रमांक–एफ 771/ 8 /2020/3873 भोपाल, दिनांक 13 /08/2020

प्रतिलिपिः

1. प्रमुख सचिव, माननीय राज्यपाल, राजभवन सचिवालय, मध्यप्रदेश भोपाल।
2. उप सचिव, मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री कार्यालय, मंत्रालय, मध्यप्रदेश भोपाल।
3 निज सहायक, माननीय मंत्री जी, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, मध्यप्रदेश भोपाल।
4. प्रमुख सचिव के स्टाफ आफीसर, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, मध्यप्रदेश भोपाल।
5. आयुक्त, उच्च शिक्षा संचालनालय, सतपुड़ा भवन मध्यप्रदेश भोपाल।
6. उप सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, मध्यप्रदेश भोपाल।
7. अध्यक्ष, मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग, मध्यप्रदेश भोपाल।
8. निज सहायक, कुलपति, समस्त पारंपरिक एवं निजी विश्वविद्यालय मध्यप्रदेश।
9. समस्त क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक, उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश।
10. कुलसचिव, समस्त पारंपरिक/निजी/दूरस्थ विश्वविद्यालय, मध्यप्रदेश।
11. प्राचार्य, समस्त शासकीय/स्वशासी/अनुदान प्राप्त अशासकीय/अशासकीय महाविद्यालय, म.प्र।
12. वि.क.अ. आई.टी. शाखा, उच्च शिक्षा संचालनालय, सतपुड़ा भवन, भोपाल मध्यप्रदेश।

..........की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

13-8-2020
अवर सचिव

परिशिष्ट– एक

स्नातक अंतिम वर्ष के लिए गणना पद्धति का प्रारूप

"स्नातक अंतिम वर्ष की सम्पूर्ण परीक्षा आयोजित ना होने की स्थिति में"

क्रमांक	वर्ष / सेमेस्टर	प्रश्नपत्र प्रथम	प्रश्नपत्र द्वितीय	कुल अंक
1	प्रथम वर्ष (आंतरिक मूल्यांकन सहित)	23 / 50	27 / 50	50 / 100
(i)	**प्राप्तांक का 25 प्रतिशत**	**5.75**	**6.75**	**12.5**
	द्वितीय वर्ष (आंतरिक मूल्यांकन सहित)	33 / 50	30 / 50	63 / 100
(ii)	**प्राप्तांक का 25 प्रतिशत**	**8.25**	**7.5**	**15.75**
	प्राप्तांकों का 50 प्रतिशत (i+ii) (A)	**14**	**14.25**	**28.25**
2	अंतिम वर्ष (ओपन बुक परीक्षा) आंतरिक मूल्यांकन सहित	40 / 50	36 / 50	76 / 100
	वर्तमान प्राप्तांकों का 50 प्रतिशत (B)	**20**	**18**	**38**

स्नातक अंतिम वर्ष के परीक्षा परिणाम घोषित करने की पद्धति

3	पूर्व परीक्षा के प्राप्तांको का 50 प्रतिशत **(A)**	14 (5.75+8.25)	14.25 (6.75+7.50)	28.25 (12.5+15.75)
	वर्तमान प्राप्तांकों का 50 प्रतिशत **(B)**	20	18	**38**
	कुल प्राप्तांक **(A)+(B)**	**34 / 100**	**32.25 / 100**	**66.25 / 100**
	पूर्णांकित करते हुए कुल प्राप्तांक	**34 / 50**	**32 / 50**	**66 / 100**

परिशिष्ट– दो

स्नातक अंतिम वर्ष के लिए गणना पद्धति का प्रारूप

"स्नातक अंतिम वर्ष के किसी विषय के एक प्रश्न पत्र की परीक्षा हो चुकी है तथा द्वितीय प्रश्न पत्र की परीक्षा शेष होने की स्थिति में"

क्रमांक	वर्ष / सेमेस्टर	प्रश्नपत्र प्रथम	प्रश्नपत्र द्वितीय	कुल अंक
1	प्रथम वर्ष (आंतरिक मूल्यांकन सहित)	–	27 / 50	
(i)	**प्राप्तांक का 25 प्रतिशत**	–	**6.75**	
	द्वितीय वर्ष (आंतरिक मूल्यांकन सहित)	–	30 / 50	
(ii)	**प्राप्तांक का 25 प्रतिशत**	–	**7.5**	
	प्राप्तांकों का 50 प्रतिशत (i+ii) = (A)	–	**14.25**	
2	अंतिम वर्ष (ओपन बुक परीक्षा) आंतरिक मूल्यांकन सहित	–	36 / 50	
	वर्तमान प्राप्तांकों का 50 प्रतिशत (B)	–	**18**	
	स्नातक अंतिम वर्ष के परीक्षा परिणाम घोषित करने की पद्धति			
3	पूर्व परीक्षा के प्राप्तांको का 50 प्रतिशत **(A)**	–	14.25	
	वर्तमान प्राप्तांकों का 50 प्रतिशत **(B)**	–	18	
	अंतिम वर्ष (पूर्व आयोजित परीक्षा **(C)**	30 / 50	–	
	कुल प्राप्तांक **(C) / (A)+(B)**	30 / 50	32.25 / 50	62.25 / 100
	पूर्णांकित करते हुए कुल प्राप्तांक	30	32 / 50	62 / 100

परिशिष्ट– तीन

"स्नातकोत्तर चतुर्थ सेमेस्टर के लिए गणना पद्धति का प्रारूप"

पूर्व परीक्षा के प्राप्तांकों के 50 प्रतिशत अंकों की गणना करने हेतु प्रारूप

क्रं	सेमेस्टर	प्रश्न पत्र प्रथम	प्रश्न पत्र द्वितीय	प्रश्न पत्र तृतीय	प्रश्न पत्र चतुर्थ	कुल अंक
1	प्रथम सेमेस्टर (आंतरिक मूल्यांकन सहित)	46	42	46	56	190
	प्राप्तांक का 16 प्रतिशत	**7.36**	**6.72**	**7.36**	**8.96**	
2	द्वितीय सेमेस्टर (आंतरिक मूल्यांकन सहित)	66	60	66	68	260
	प्राप्तांक का 16 प्रतिशत	**10.56**	**9.06**	**10.56**	**10.88**	
3	तृतीय सेमेस्टर (आंतरिक मूल्यांकन सहित)	90	64	80	84	318
	प्राप्तांक का 18 प्रतिशत	**16.20**	**11.52**	**14.04**	**15.12**	
4	**प्राप्तांको को गुणानुकृत करते हुए 50 प्रतिशत**	**34.12**	**27.84**	**32.32**	**34.96**	

ओपन बुक परीक्षा के प्राप्तांकों के 50 प्रतिशत अंको की गणना करने हेतु प्रारूप

क्रं	सेमेस्टर	प्रश्न पत्र प्रथम	प्रश्न पत्र द्वितीय	प्रश्न पत्र तृतीय	प्रश्न पत्र चतुर्थ	कुल अंक
1	चतुर्थ सेमेस्टर (ओपन बुक परीक्षा) आंतरिक मूल्यांकन सहित	66	64	84	80	294
2	**प्राप्तांको का 50 प्रतिशत**	**33**	**32**	**42**	**40**	

स्नातकोत्तर चतुर्थ सेमेस्टर के परीक्षा परिणाम घोषित करने की पद्धति

क्रं	सेमेस्टर	प्रश्न पत्र प्रथम	प्रश्न पत्र द्वितीय	प्रश्न पत्र तृतीय	प्रश्न पत्र चतुर्थ	कुल अंक
1	पूर्व परीक्षा के प्राप्तांको का 50 प्रतिशत	34.12	27.84	32.32	34.96	
2	वर्तमान प्राप्तांकों का 50 प्रतिशत	33	32	42	40	
3	**कुल**	**67.12**	**59.84**	**74.32**	**74.96**	
4	**प्राप्तांको के प्रतिशत को पूर्णांकित करते हुए वर्तमान वर्ष का प्राप्तांक**	**67**	**60**	**74**	**75**	**276**

मध्यप्रदेश शासन

उच्च शिक्षा

वल्लभ भवन,मंत्रालय–462004

// आदेश //

भोपाल, दिनांक 26/08/2020

क्रमांक 811/969/2020/38/शा.–3 :: सत्र 2019–20 की विश्वविद्यालयीन परीक्षाओं के संदर्भ में उच्च शिक्षा मंत्रालय का आदेश क्रमांक एफ–770/2020/38–3 भोपाल दिनांक 13.08.2020 जारी किया गया। उक्त आदेश के अनुक्रम में दिनांक 17.08.2020 को आयुक्त उच्च शिक्षा की अध्यक्षता में आयोजित वीडियो कॉन्फ्रेंस तथा आयुक्त उच्च शिक्षा द्वारा कुलसचिव समस्त विश्वविद्यालय एवं प्राचार्य समस्त स्वशासी महाविद्यालय की समिति की अनुशंसा के परिप्रेक्ष्य में विश्वविद्यालयीन परीक्षाओं/परीक्षा परिणाम घोषित करने के संबंध में निम्नानुसार निर्देश जारी किए जाते हैं –

1. प्रदेश के समस्त पारम्परिक/दूरस्थ/निजी विश्वविद्यालय एवं समस्त स्वशासी महाविद्यालय द्वारा सत्र 2019–20 के लिए स्नातक अंतिम वर्ष तथा स्नातकोत्तर चतुर्थ सेमेस्टर के पाठ्यक्रमों के लिए पूर्व में तैयार प्रश्नपत्रों में ही निर्देशानुसार प्रारूप संशोधन कर विषयवार प्रश्नपत्र खण्डवार एक साथ तैयार कराए जाएं। जिन विषयों के प्रश्नपत्र तैयार नहीं हैं वहां निर्देशानुसार प्रश्नपत्र तैयार कराएं जाएं। परीक्षार्थी से संबंधित जानकारी के लिए उत्तर पुस्तिका के प्रथम पृष्ठ का प्रारूप भी उपलब्ध कराए जाए। प्रत्येक परीक्षार्थी को उत्तर पुस्तिका के साथ प्रवेश पत्र की छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा।

2. परीक्षार्थी नजदीक के किसी भी संग्रहण केन्द्र पर एक साथ उत्तर पुस्तिका जमा कर सकेंगे। संग्रहण केन्द्रों से प्राप्त उत्तर पुस्तिकाएं जिले के अग्रणी महाविद्यालय द्वारा संबंधित विश्वविद्यालय को प्रेषित की जायेगी।

3. जिन पाठ्यक्रमों में आंतरिक मूल्यांकन की व्यवस्था नहीं है उनके लिए भी असाइनमेंट पद्धति से कार्यवाही कर मूल्यांकन पश्चात् प्राप्तांक संबंधित विश्वविद्यालय को प्रेषित किए जाएंगे।

4. स्नातक/स्नातकोत्तर स्तर पर पूर्व वर्षों में एक्स./एटीकेटी परीक्षार्थी हैं तो उसकी परीक्षा भी असाइनमेंट के माध्यम से सम्पन्न कराई जाए।

5. प्राचार्य अग्रणी महाविद्यालय द्वारा परीक्षा कार्य में संलग्न शैक्षणिक एवं गैर शिक्षकीय स्टाफ को परीक्षा संचालन हेतु विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित दरों के आधार पर भुगतान किया जायेगा। इस हेतु संबंधित विश्वविद्यालय परीक्षा संचालन के पूर्व ही समस्त अग्रणी प्राचार्य को अग्रिम राशि उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।

6. उत्तर पुस्तिका के संग्रहण कार्य में प्रयोग में लाए जाने वाले वाहनों का भुगतान अग्रणी महाविद्यालय द्वारा लोकसभा निर्वाचन में संबंधित जिला कलेक्टर द्वारा निर्धारित दरों पर परीक्षा संचालन हेतु विश्वविद्यालय से प्राप्त अग्रिम राशि से किया जाएगा।

7. प्रदेश के समस्त स्वशासी महाविद्यालयों के परीक्षार्थियों की ओपन बुक परीक्षा प्रणाली की उत्तर पुस्तिकाएं संबंधित स्वशासी महाविद्यालय में ही संग्रहित की जाएंगी। परीक्षार्थी डाक द्वारा भी संबंधित स्वशासी महाविद्यालय को निर्धारित समय–सीमा में उत्तर पुस्तिकाएं भेज सकेंगे।

8. स्नातक प्रथम वर्ष, द्वितीय वर्ष (नियमित) तथा स्नातकोत्तर प्रथम सेमेस्टर (नियमित) के आंतरिक मूल्यांकन में अनुत्तीर्ण/अनुपस्थित विद्यार्थियों को आंतरिक मूल्यांकन के लिए एक अवसर प्रदान करते हुए असाइनमेंट स्वीकार किया जाए। मूल्यांकन उपरांत प्राप्तांक संबंधित विश्वविद्यालय को ऑनलाइन प्रेषित किए जायेंगे।

......2

9. स्नातकोत्तर चतुर्थ सेमेस्टर में जिन पाठ्यक्रमों/विषयों में लघु शोध प्रबंध/प्रोजेक्ट आवश्यक है ऐसे परीक्षार्थी लघु शोध प्रबंध/प्रोजेक्ट नजदीकी संग्रहण केन्द्रों पर निर्धारित समय–सीमा में जमा करेंगे अथवा डाक द्वारा संबंधित जिले के अग्रणी महाविद्यालय के कार्यालय के पते पर भेजना सुनिश्चित करेंगे। अग्रणी महाविद्यालय प्राप्त सभी लघु शोध प्रबंध/प्रोजेक्ट को संबंधित विश्वविद्यालय/अग्रेषण केन्द्रों को प्रेषित करना सुनिश्चित करेंगे। विश्वविद्यालय/अग्रेषण केन्द्र महाविद्यालय स्तर पर मूल्यांकन कराते हुए प्राप्तांक निर्धारित समय–सीमा में ऑनलाइन प्रेषित करेंगे।

समस्त विश्वविद्यालय एवं स्वशासी महाविद्यालय उपरोक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करते हुए अपने स्तर पर पृथक से अन्य आवश्यक निर्देश जारी करेंगे।

26-8-2020

(वीरन सिंह भलावी)
अवर सचिव
मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग

पृ. कमांक 8/2/969/2020/38/शा.–3 भोपाल दिनांक 26/08/2020

प्रतिलिपि –

1. प्रमुख सचिव, माननीय राज्यपाल, राजभवन सचिवालय, मध्यप्रदेश भोपाल।
2. उप सचिव, मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री कार्यालय, मंत्रालय, मध्यप्रदेश भोपाल।
3. निज सहायक, माननीय मंत्री जी, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, मध्यप्रदेश भोपाल।
4. प्रमुख सचिव के स्टाफ ऑफिसर उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय मध्यप्रदेश भोपाल।
5. आयुक्त उच्च शिक्षा संचालनालय,सतपुड़ा भवन मध्यप्रदेश भोपाल।
6. उप सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, मध्यप्रदेश भोपाल।
7. अध्यक्ष, मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग, मध्यप्रदेश भोपाल।
8. निज सहायक, कुलपति, समस्त पारंपरिक एवं निजी विश्वविद्यालय, मध्यप्रदेश।
9. समस्त क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक, उच्च शिक्षा मध्यप्रदेश।
10. कुलसचिव, समस्त पारंपरिक/निजी/दूरस्थ विश्वविद्यालय, मध्यप्रदेश।
11. समस्त प्राचार्य, शासकीय/स्वशासी/अनुदान प्राप्त अशासकीय/अशासकीय महाविद्यालय, म.प्र।
12. वि.क.अ.आई.टी. शाखा, उच्च शिक्षा संचालनालय, सतपुड़ा भवन, भोपाल मध्यप्रदेश।

.... की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

26-8-2020

अवर सचिव
मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग